

लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स जय भगवती माइंस, मे0 रामिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, मे0 गौतम इरैक्शन एल.एल.पी. द्वारा गया जिला के अंचल-मगध मेडिकल और बोधगया के कलस्टर गया फल्गु-12 बालू घाट, फल्गु-13 बालू घाट, फल्गु-14 बालू घाट, ग्राम- कंदई दंडीबाघ, खिरियावन और अमावन फल्गु नदी का क्षेत्रफल-297.0 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक-24.09.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे नगर ब्लॉक, चन्दौती, जिला-गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/1038/2020, दिनांक-21.07.2020, पत्र संख्या-SIA/1(a)/1039/2020, दिनांक-21.07.2020 एवं पत्र संख्या-SIA/1(a)/1121/2020, दिनांक-24.07.2020 के आलोक में श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), गया की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)**

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक- 23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री ए. के. गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना अर्ध यांत्रिक (semi mechanized) आधारित है अतः ढूलाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाना अनुमोदित है। किसी प्रकार की विस्फोटक व ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं है। परियोजना की राशि की कुल लागत का 2 प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व मद में रखा गया है जो बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य है। परियोजना में कुल 109 कामगारों की आवश्यकता होगी जिनकी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बालू ढूलाई के लिए वाहनों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खादानों से अस्थायी मार्गों द्वारा जुड़ा है। इन मार्गों का रख-रखाव भी परियोजना प्रस्तावक सुरक्षित करेंगे। खनन कार्य पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य सघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। रात्रि में हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा। प्रेशर हॉर्न का उपयोग वाहनों द्वारा नहीं किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल-कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू.सी. प्रमाणित होंगे।

अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। इससे लोगों को रोजगार, सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही विकास कार्य होगा। बालू विकास के लिए एक मुख्य घटक होता है। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पारदर्शिता के साथ खनन कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री मुन्ना कुमार, पिता-श्री अशोक कुमार, बोधगया, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना से हमें रोजगार मिलेगा या नहीं।

उत्तर- पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में लगभग 109 कामगारों की आवश्यकता पड़ेगी एवं सबसे पहले स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी।

2. श्री रिशु सिंह, पिता-श्री विजय कुमार, ग्राम-केंदुई, जिला-गया द्वारा पूछा गया ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है एवं घनी आबादी को दिक्कत न हो इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 2,000 पेड़-पौधे लगाये जाना है जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा तथा रात्रि में बालू ढूलाई के दौरान वाहनों का हार्न का उपयोग न्यूनतम किया जायेगा। साथ-ही यह भी बताया गया कि केवल पी.यू.सी. प्रमाणित वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा एवं खराब ट्रकों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढूलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ-ही-साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढूलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने-जाने के समय या भीड़-भाड़ होने के दौरान बालू की ढूलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से करायी जायेगी। ट्रक से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। बालू की खुदाई 2-3 मी0. ही की जायेगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि प्रत्येक इकाई द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन

करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा। हमलोग भी तत्पर रहेंगे।



अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंशा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

815.
288-2
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०.रा०.प्र०.नि०.पर्वद, गया।

अपर समाहर्ता (वि०जा०)
गया

उपस्थिति सूची

मे० जय भगवती माईन्स, मे० रामिया कंस्ट्रक्सन प्रा० लि०, मे० गौतम इरेक्शन एल.एल.पी. द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-सजदमैडि एवं बोधगया के फल्गु नदी पर घाट-12, फल्गु घाट-13, फल्गु घाट-14 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, नगर प्रखण्ड गया, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 24.09.2020 (गुरुवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	संतोष कुमार श्रीवास्तव	आमरसमोहरी बिगाना गम	 24/09/20
2.	आशीष कुमार गुप्ता, श्रीराम जहाजघाट	बि० रा० गुप्ता नो प्लस, पटना	मि.स. 24-9-20
3.	Dr. Tatin K. Srivastava consultant	B-225, Raja ji posam Lucknow - UP	
4.	समसुदीप अंतराजि		समसुदीप अंतराजि
5.	गुणग 1409	Khizola hary	गुणग 1409
6.	Anil Kumar	Bhuda Pipari	Anil
7.	Omn Yadav	Chaya	Omn
8.	Sushil Kumar	Gaya	Sushil
9.	अमित यादव	जयपुर	अमित यादव
10.	आशीष गुप्ता	पटना	आशीष गुप्ता
11.	Ramkumar Kumar	कटा	Ramkumar
12.	अमित यादव	केन्दुई	अमित यादव
13.	Lattu Shaikh	Gaya	Lattu

